

मानव संसाधन विकास विभाग
(शोध एवं प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक- 354 दिनांक- 25.04.2012 के अनुसार
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर-जलालपुर (समस्तीपुर)

SESSION- 2022-24
ACADEMIC YEAR- 2022-2023 (1st Year)
TOTAL INTAKE - 200

क्रमांक	मद का नाम	सामान्य जाति/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए राशि
1	2	3
1	भवन रख-रखाव	5000
2	रसोई रख-रखाव	300
3	छात्रावास व्यवस्था	300
4	बिजली एवं पेयजल व्यवस्था	300
5	खेलकुद	300
6	पुस्तकालय	300
7	प्रयोगशाला	400
8	कम्प्यूटर	600
9	शैक्षणिक भ्रमण	400
10	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड	200
11	कौशन मनी	3000
12	आन्तरिक मूल्यांकन	400
कुल योग		11500

Bikram Kumar
20/06/23
प्राचार्य
प्रा० शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
रामपुर-जलालपुर (समस्तीपुर)
20/06/2023

मानव संसाधन विकास विभाग
(शोध एवं प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक- 354 दिनांक- 25.04.2012 के अनुसार
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रामपुर-जलालपुर (समस्तीपुर)

SESSION- 2021-23
ACADEMIC YEAR- 2023-2024 (2nd Year)
TOTAL INTAKE - 200

क्रमांक	मद का नाम	सामान्य जाति/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए राशि
1	2	3
1	भवन रख-रखाव	5000
2	रसोई रख-रखाव	300
3	छात्रावास व्यवस्था	300
4	बिजली एवं पेयजल व्यवस्था	300
5	खेलकुद	300
6	पुस्तकालय	300
7	प्रयोगशाला	400
8	कम्प्यूटर	600
9	शैक्षणिक भ्रमण	400
10	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड	200
11	कौशन मनी	00
12	आन्तरिक मूल्यांकन	400
कुल योग		8500

Bikram Kumar
20/06/23
प्राचार्य
प्रा० शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
रामपुर-जलालपुर (समस्तीपुर)
20/06/2023

467

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

(शोध एवं प्रशिक्षण)
संकल्प

विषय:- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एडुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन तथा महाविद्यालय के संरचना के विकास हेतु निर्गत संकल्प संख्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 पटना दिनांक-19.06.2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का संशोधन।

राज्य में शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु राज्य के सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय को अपने आप में आत्म निर्भर बन सकें तथा उन्हें अपने भवनों के रख-रखाव, अन्य भौतिक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए सरकार पर उनकी निर्भरता कम हो इस हेतु विभागीय संकल्प संख्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 दिनांक-19.06.2008 को निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया है।

2- मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 पटना दिनांक-19.06.2008 का कड़िका 14 को निम्नवत् संशोधित किया गया जाता है।

"नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रतिवर्ष 10,000/- (दस हजार) की राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/निशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 6000/- होगी। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक योजना एवं आवास शुल्क को छोड़कर है।

राशि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	विवरण	अन्य जाति	अनुसूचित जाति/जनजाति/निशक्त
1	भवन रख-रखाव	5000/-	2800/-
2	बिजली/पेयजल	300/-	200/-
3	रसोई रखरखाव	300/-	200/-
4	छात्रावास व्यवस्था	300/-	200/-
5	खेलकूद	300/-	200/-
6	पुस्तकालय	300/-	200/-
7	शैक्षिक भ्रमण	400/-	200/-
8	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड	200/-	200/-
9	कौशन मनी	1500/-	1000/-
10	प्रयोगशाला	400/-	200/-
11	कम्प्यूटर	600/-	300/-
12	आंतरिक मूल्यांकन	400/-	300/-
	कुल	10,000/-	6,000/-

* नोट:- कौशन मनी की राशि दोनों वर्ष के लिये प्रवेश के समय ही ली जायेगी जो महाविद्यालय छात्रों के मासिक अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।"

3. मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 पटना दिनांक-19.06.2008 के कड़िका 17 अब निम्नवत् पढ़ा जायेगा।

"भवन के रखरखाव हेतु गठित समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त भवन रखरखाव प्रभारी, छात्रावास प्रभारी एवं छात्र प्रतिनिधि रहेंगे जो रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक की राशि का उपयोग भवन एवं छात्रावास मरम्मत हेतु अपने स्तर से करेंगे परन्तु महाविद्यालय भवन/छात्रावास मरम्मत का प्रावधान बिहार राज्य शैक्षणिक आन्वयगत संरचना विकास विभाग के अधिकांश से बनकर ही राज्य की त

460

सकेंगी। प्राचार्य सभी सदस्यों के साथ समिति की बैठक कर किये जाने वाले कार्यों पर निर्णय लेने तथा बैठक की कार्यवाही संचालित की जायेगी। जिस पर समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा। भवन मरम्मत में रु० 1,00,000/- (एक लाख रूपये) से अधिक की राशि व्यय होने की स्थिति में बिहार राज्य शैक्षणिक अकादमी संरचना विकास नियम से प्रावधान तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त कर तत्पर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार खर्च कर सकेंगे।

4. मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प संख्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 पटना दिनांक-19.06.2008 के कडिका 18 अब निम्नवत पढ़ा जायेगा।

शैक्षिक संरचना यथा कुर्सी, टेबुल, दरी इत्यादि पुरतकालयों के लिए पुरतक एवं प्रयोगशाला के लिए सामग्री की व्यवस्था हेतु तत्पर्युक्त समिति रु० 50,000/- (पचास हजार रूपये) तक की राशि का व्यय अपने स्तर से करेगी तथा इससे अधिक की राशि के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से अनुमति प्राप्त करेगी।

5. इस परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पूर्व संवत्कालीन प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं के नामांकन एवं महाविद्यालय के संरचना विकास हेतु संकल्प संख्या-12/प्रशिक्षण-89/2007-204 पटना दिनांक 19.06.2008 के आलोक में निर्गत मार्गदर्शिका की सगत कडिकायें संसाधित समझ जायें।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी सभी पदाधिकारियों को प्रेषित की जाय।



(जितेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक- 25/4/12

ज्ञापक-12/प्रशिक्षण-89/07-354

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, मुलजाराबाग, पटना को राजपत्र के अंगत अंतराकरण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर तत्पलक करायी जाय।




संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक 25/4/12

ज्ञापक-12/प्रशिक्षण-89/07-354

प्रतिलिपि- वित्त आयुक्त/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आय-व्यय पदाधिकारी/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।